



राज्यपाल

संख्या- / जी०एस०(शिक्षा) / A4-69-1 / 2012

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा  
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,  
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : 8 अक्टूबर, 2021

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-1411 व 1414, दिनांक 23.07.2019 तथा पत्र संख्या-1182 व 1183, दिनांक 07.12.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख निर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तार हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
बिशम्बर सहाय (पी०जी०) इंस्टीट्यूट, 06 किमी० स्टोन, दिल्ली-देहरादून रोड, रुड़की	एल०एल०एल०	30	2019-20 एवं 2020-21

"विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन होने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 का संज्ञान रखने के साथ-साथ यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता आदेश निर्गत करें व तदनुसूचित कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।"

3. अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या-1936 (1) / जी०एस०(शिक्षा) / A4-69-1 / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(एन०के० पोखरियाल)

उप सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।